

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(61)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 6.7.17

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।


विषय:— श्री अमरेश कुमार तिवाड़ी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक: एफ1(3)(7)स्था/आईसीडीएस/2016/99787 दिनांक 30.06.2017

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अमरेश कुमार तिवाड़ी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर का चयन सी.बी.आई. में सहायक लोक अभियोजक के पद पर होने के कारण कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु प्रार्थना की है। प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), नई दिल्ली के आदेश क्रमांक DPPERS(M)2017/2594/4/1/2017 दिनांक 29.06.2017 द्वारा 15 दिवस में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः श्री तिवाड़ी, कनिष्ठ विधि अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। श्री तिवाड़ी का राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर लियन नहीं रखा जायेगा।

श्री तिवाड़ी की सेवा पुस्तिका भी संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

06.07.17
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री अमरेश कुमार तिवाड़ी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 30.06.2017 के क्रम में।
2. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


06.07.17
संयुक्त शासन सचिव